

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सौलायटी एक्ट में पंजीकृत संस्थाओं हेतु
छहवीं जमावदी के आधार पर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए
रियायतों दर पर आवंटित भूमि के उपयोग/उपयोग हेतु पट्टा

1330
2009
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सौलायटी एक्ट में पंजीकृत संस्थाओं हेतु छहवीं जमावदी के आधार पर संस्थानिक प्रयोजनों के लिए रियायतों दर पर आवंटित भूमि के उपयोग/उपयोग हेतु पट्टा

यहां भूखण्ड आरंभ की पट्टे (सीज-होल्ड) के आधार पर आवंटित किया गया है। सीज की अवधि 60 वर्ष होगी।
अवधि के अंत में इसका पर्याप्त निर्मित करने की संधा किसी भी भी पट्टे (सप-सीज) पर रखा/अवधायी रूप से नहीं दे सकती। एक पट्टे/रियायत पर दो से अधिक पट्टे/रियायतें प्राप्त करना संभव नहीं है।

पट्टेदार जयपुर विकास प्राधिकरण को कार्यालय में या दूर अन्य स्थान पर जिनके सम्बन्धित-समय पर इस हेतु निर्धारित कर में, प्रत्येक वर्ष अगस्त के प्रथम दिन एक भूखण्ड की सम्बन्ध में शहरी जमावदी के तौर पर कर में 150,000/- रुपये एक लाख पचास हजार तक बढ़ावा देना होगा। शहरी जमावदी प्रथम 5 वर्षों में निर्धारित कर 150,000/- रुपये प्रति वर्ष एक 5 वर्ष परभाव: 5,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष जमा करेगा। यदि शहरी जमावदी नियत करीब तक जमा नहीं की गई तो बकाया बका दर सम्बन्धित पट्टे के ब्याज चुकाना होगा।

शहरी जमावदी की निर्धारित धन राशि में प्रथम 15 वर्षों के अंत में कुल परभाव 25 प्रतिशत की उतरोत्तर दर की जायेगी।

सम्बन्धित शहरी तक किसी रकम या परिभाषित रकम या इसके किसी अंश की जो शहरी जमावदी के दौरान अधिसूचना न करने पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसका एक प्रतिशत जमा कराना होगा।

यहां भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के सार्वजनिक उपयोग के लिए ही किया जा सकता है। अन्यथा के रूप में नहीं होगा जिस सार्वजनिक उपयोग हेतु संस्था की भूमि आवंटित की गई है। शहरी जमावदी के लिए भूमि के रूप में उपयोग किया जायेगा। भूखण्ड व भवन का व्यावहारिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग या उपयोग नहीं किया जा सकता।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य आवंटन के 2 वर्षों की अवधि में प्रारम्भ कर 5 वर्षों की अवधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा भूखण्ड के पट्टे जमा कराई गई राशि में से 25 प्रतिशत राशि काट कर शेष 75 प्रतिशत राशि जमा कराना होगा।

पट्टेदार/आरंभ द्वारा भूखण्ड पर जो भी भवन निर्माण कार्य कराना चाहता है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकार प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायः की जायेगी। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

पट्टेदार/आरंभ द्वारा भूखण्ड पर जो भी भवन निर्माण कार्य कराना चाहता है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकार प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायः की जायेगी। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

भूमि उपयोग भूखण्ड विशेष शर्तों के अन्तर्गत विशेष नियमों के अन्तर्गत किया गया है। भूखण्ड का उपयोग अन्तर्गत या किसी विधि प्रायः विहित संस्था के अन्तर्गत ही किया जायेगा। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

यहां की सन्ध-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर देना होगा।

सत्य प्र
पंजीकृत

12. धरदवार/जायदी द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं धरददे की उपरोक्त तमस्त शर्तों की पूर्ण पालना की किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त मूल्यांकन एवं उस पर होने हुए खर्च का उक्त मूल्यांकन बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिकृत कर लिया जाएगा।
13. यदि संस्था को आवंटित भूमि का कोई भाग धरद में किसी समय राज्य सरकार द्वारा का आरंभ, किसी विकास कार्य हेतु आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार अथवा आवंटनकर्ता संस्था प्राधिकरण द्वारा आरंभ की पर वह खर्च से संलग्न हो लिये स्वाम्य होगा। यदि उक्त मूल्यांकन पर कोई विनिर्दिष्ट विकास कार्य किया गया होगा तो उक्त मूल्यांकन अलग में देय होगा।
14. रीक्षणिक संस्थाओं को प्रयोजन को लिए आवंटित मूल्यांकन पर संचालित रीक्षणिक संस्थाओं को उक्त मूल्यांकन पर एतदर्थत खर्च-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार अग्रहण/मार्ग/बोर्ड आदि का उचित निर्धारण पालना करनी होगी।
15. राज्य हित व विशेष परिस्थिती में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि निर्मित भवन को अर्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेंगा। जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा। इस मूल्यांकन की वार्षिक राहरी जनसंख्या 1,50,000/- रूपये की पर्यवेष्ट मूल्य राशि 18,00,000/- रूपये आतः स्तम्भ नं 4865E249783/7.12.09 (डेविड) 9476, 9477/4.12.09, राशि रूपये 80,000+10/- के अतिरिक्त देयता इनके साथ लागू है।

खरदों का नाम: जयपुर पूर्व पारिषद प्लॉट की संख्या धरदें कोई
 विस्तृत नाम: राजस्थान अनुसार) सैन्य धरदें सैन्य संजाना का नाम इ
 सहीत क्षेत्रफल: धरदें की संख्या नम्बर 330, 331 धरदें 4800 वर्गमीटर जिनका मान
 4800 वर्गमीटर है।

इसके साथ ही धरदें में इतने करीबों में इतने धरदें प्रत्येक धरदा में निर्दिष्ट स्थानों और शर्तों पर जाने हस्त
 राजस्थान सरकार की ओर से

आज तम 2009 के 11 दिनांक पर
 श्री बी.एल. गोयल सैन्य अधिकारी जयपुर विभाग
 प्राधिकरण जोन-1: जयपुर में निम्न धरदें उपरोक्त में
 जयपुर में हस्ताक्षर किये -

साक्षी :-
 1. नाम रमण धरदें शर्मा
 पुत्र श्री जी.पी. शर्मा
 व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
 निवास स्थान जयपुर।

2. नाम गोविन्द कांत शर्मा
 पुत्र श्री न.डी. शर्मा 21M
 व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
 निवास स्थान जयपुर।


आज 12/11/2009 तम 2009
 को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त धरदें धरदें विभाजन
 धरदें समिति धरदें प्रथम निर्देशक श्री रीक्षणिक राहरी
 निवास स्थान जयपुर विभाग जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-
 1. नाम श्रीमान मोहन
 पुत्र श्री श्रीमान मोहन
 व्यवसाय प्राधिकरण
 निवास स्थान-द-48, कोडा नगर, जयपुर।

2. नाम श्रीमान रामचन्द्र
 पुत्र श्री श्रीमान रामचन्द्र
 व्यवसाय प्राधिकरण
 निवास स्थान-द-48, कोडा नगर, जयपुर।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
 साक्षी के हस्ताक्षर
 साक्षी के हस्ताक्षर
 धरदें धरदें/जायदी के हस्ताक्षर
 साक्षी के हस्ताक्षर

PROPOSED SECOND FLOOR PLAN FOR MEERA GIRLS
HOSTEL 4th WILAGE-MADAI,TEH-SANGANNERT DIST -JAMPUR KHASRA NO -330-391



DATE: 11.11.2018
SCALE: 1:150
DRAWN BY: [Signature]
CHECKED BY: [Signature]

Santhi D.A.
ALL INDIA ARCHITECTS REGISTER
[Signature]

[Signature]
[Signature]

PROJECT
SRI KALYAN KANYA DASHA BAL
SRI SANGANNERT
VILLAGE MADAI, TEH-SANGANNERT
DIST-JAMPUR KHASRA NO-330-391


SECOND & TERRACE FLOOR
PLAN

Architect's Signature
[Signature]

Owner's Signature
[Signature]

Scale
1:150

Sheet No.
01



DATE: 10/10/00
 DRAWN BY: [Signature]
 CHECKED BY: [Signature]

SCALE: 1/8" = 1'-0"
 1/4" = 1'-0"
 1/2" = 1'-0"
 3/4" = 1'-0"
 1" = 1'-0"

1/8" = 1'-0"

SCALE: 1/8" = 1'-0"
 1/4" = 1'-0"
 1/2" = 1'-0"
 3/4" = 1'-0"
 1" = 1'-0"

DATE: 10/10/00
 DRAWN BY: [Signature]
 CHECKED BY: [Signature]

<p>Sheet No. 04</p>	<p>Scale: 1/8" = 1'-0"</p>	<p>Owner's Signature: [Signature]</p>	<p>Architect's Signature: [Signature]</p>	<p>PROJECT: SPT PLANTING AND LANDSCAPE ARCHITECTURE 3800 SOUTH MOUNTAIN AVENUE DENVER, COLORADO 80202</p>	<p>ALL DIMENSIONS IN METERS</p>
---------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---------------------------------